

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

क्रमांक:- सामान्य/2025/5

दिनांक:-20.03.2025

आदेश

माह अप्रैल, मई-2025 में निम्नलिखित राजकीय अवकाश के दिनों में हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा व पुलिस अभिरक्षा, अभिरक्षा अवधि की अभिवृद्धि तथा उनसे संबंधित जमानत आवेदन व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें मृत्युकालिक कथन व धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करना व धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जांच करना शामिल है, करने के लिये निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट्स को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के लिये अधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायिक अधिकारीगण सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे :-

क्र.सं.	अवकाश/कार्यदिवस तिथि	पीठासीन अधिकारी मय न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	06.04.2025	रवि प्रकाश बाकोलिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ मो.नं. 9799735402
2	10.04.2025 12.04.2025	सुजीत कुमार तंवर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया मो.नं. 9413480883
3 -	13.04.2025 14.04.2025	डिम्पल कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर मो.नं. 9413494729
4	18.04.2025 20.04.2025	सीमा गोयल, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ मो.नं. 8557918944
5	26.04.2025 27.04.2025	प्रहेलिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा मो.नं. 9929285209
6	04.05.2025	मीनाक्षी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ मो.नं. 9416251727
7	10.05.2025 11.05.2025	अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ मो.नं. 8530487312
8	18.05.2025	डॉ नेहा गोयल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मो.नं. 9461298006
9	24.05.2025 25.05.2025	सोनाक्षी पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया मो.नं. 9340938735
10	29.05.2025	रचना बिस्सा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर मो.नं. 9001283874

उक्त अधिकारी न्यायिक अभिरक्षा/प्रथम सूचना रिपोर्ट/जमानत व अन्य अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्न डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे :-

Sr. No	Head Quarter Name	E-mail ID	Mobile No.
1.	Hanumangarh	remandduty@gmail.com	8279082195 (ACJM Court) 8209866001 (Reader MJM Court) 8279082196 (AMJM Court) 9414653705 Reader NI ACT COURT 8279082197 (Gram nya.)
2.	Sangaria	remandduty@gmail.com	8279082185 (ACJM Court) 9414481355 (Reader JM Court)
3.	Bhadra	remandduty@gmail.com	9414882713 Reader ACJM Court 9068008006 9829419875 Reader MJM COURT
4.	Nohar	remandduty@gmail.com	8279082175 (ACJM Court) 8279082183 (JM Court)
5.	Pilibanga	remandduty@gmail.com	8279082177(JM Court) 8279082186(JM Court) 01508-294303(ACJM Court) 9413537628 (Reader ACJM Court)
6.	Tibbi	remandduty@gmail.com	8279082179 8279082188
7.	Rawatsar	remandduty@gmail.com	01537-250557(ACJM Court) 8279082178(JM Court) 8279082187(JM Court)

नोट :-

1. अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का भी निर्वहन किया जायेगा।
2. इस आदेश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने के पूर्व तक नियमानुसार करेंगे और किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिए अधिकृत उक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ड्यूटी/कर्तव्य का निर्वहन किया जायेगा।

3
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़ (द.ग.)

क्रमांक:- 123-132

दिनांक:- 20-03-25

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/हनुमानगढ़।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा/संगरिया
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़।
7. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) हनुमानगढ़।
8. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
9. प्रभारी अधिकारी वायलेस केन्द्र हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
10. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र की वेबसाईड पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/संबंधित पत्रावली।

3
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़